HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10129/2025

Rinku S/o Mahendra, Aged About 29 Years, R/o Nagla Meghsingh, Police Station Sadar, Bayana, District Bharatpur.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajeev Kumar Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Punia, PP Mr. Pavan Kumar

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

26/09/2025

प्रार्थी की ओर से धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत पुलिस थाना, सदर, बयाना–जिला भरतपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–92/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 1115(2), 126(2), 74, 352, 303(2) बी.एन.एस.में अग्रिम जमानत का लाभ देने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आहत जीत सिंह के सिर पर जो चोट कारित होना बताया गया है, वह साधारण प्रकृति की होना प्रतिवेदित हुई है है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आहता सीमा देवी के सिर पर चोट मारना बताया गया है, वह अन्य अभियुक्त लेखराज द्वारा मारना अंकित है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। पूर्व में पारित आदेश दिनांक 9.9.2025 की पालना में प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा अनुसंधान में भाग लिया जा चुका है तथा उससे अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। अतः उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाये।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही प्रार्थी–अभियुक्त पर सीधा आक्षेप लगाया गया है कि उसने सरिये से आहत जीत सिंह के सिर पर चोट कारित की थी। जीत सिंह के चोट प्रतिवेदन के अनुसार उसके ललाट पर एक कुचला हुआ घाव पाया गया है तथा अन्य आहता सीमा के भी सिर,

कन्धे और घुटनों पर चोटें कारित हुई हैं। आहता सीमा देवी ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. व 183 बी.एन.एस. के कथनों में सिर पर सरिये की चोट प्रार्थी–अभियुक्त रिंकू द्वारा मारना बताया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 189(2), 1115(2), 126(2), 74, 352, 303(2) बी.एन.एस. का अभियोग है। प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है। गंभीर अपराध है। अतः उसे जमानत पर मुक्त नहीं किया जाये।

हमने तर्क–वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त पर मुख्य रूप से यह अभियोग लगाया गया है कि उसके द्वारा आहत जीतसिंह के सिर पर चोट कारित की गई। केस डायरी पर उपलब्ध चोट प्रतिवेदन के अनुसार जीत सिंह की उक्त चोट साधारण प्रकृति की होना प्रतिवेदित हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आहता सीमा देवी के सिर पर चोट अन्य अभियुक्त लेखराज द्वारा कारित करना बताया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा न्यायालय के पूर्व आदेश की पालना में अनुसंधान में भाग लिया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षात्मक पूछताछ (Custodial Interrogation) की आवश्यकता होना प्रकट नहीं किया गया है तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी–अभियुक्त अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तत्पर है। अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उनके यहॉ पंजीबद्ध उक्त मामले में प्रार्थी को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थी उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR /57